FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) जायल मुकाम

मूलाराम बनाम चौथाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 243 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.7.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 7.8.19 को पेश हो। Sd/-	
07/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/10/19 को पेश हो। Sd/-	
15/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के पूर्व खेत मेड़ साथ हुए हैं प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों पर जो पुरानी मेड़ व कोने आये हुए थे जो वर्तमान आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी व	

Scanned by CamScanner

क्रमांक / वाद /

विपक्षीगणों के खेतों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है
वर्षात की आवक होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेतों को
तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी खेत में खेती कर लेते हैं
जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के बीच में तनाजा बना
रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत
की पक्की मेखबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी
द्वारा प्रस्तुत मेखबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर
मेखबन्दी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी का मेखबन्दी आवेदन
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को कमिश्नर
नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू-अभि-
लेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की
मेखबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें।
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो।
आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली
मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर में कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
15.10.2019
सहायक कलक्टर (SDO)
बाप

प्रति
नायब तहसीलदार
(राज पैरोकार)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 652 दिनांकः– 15/10/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मुलाराम पुत्र अर्जुनराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. चौथाराम पुत्र नवलाराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 243 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 750 / 34 रकबा 90.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 653–57 दिनांकः– 15/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री अर्जनुराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री चौथाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा / बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:01:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: